(वाद संख्या–5533/17)

22.02.2021

परिवादी, उषा देवी अनुपस्थित हैं।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, कुमारी अनिता देवी उर्फ निशा देवी के मेल में आकर खगड़िया जिलान्तर्गत गोगरी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पु0नि0, विनोद कुमार सिंह, स0अ0नि0, अमलेन्दु कुमार सिंह एवं पु0अ0नि0, जगरनाथ सिंह द्वारा परिवादी, उषा देवी, के नाबालिग पुत्र को हथकड़ी लगाकर तीन दिन तक थाना हाजत में बंद रखने तथा उसके पति, नन्द किशोर गुप्ता व पुत्रों, मनोज कुमार, कौशल कुमार व गौरव कुमार के विरूद्ध असत्य आपराधिक मामला संस्थित कर प्रताड़ित किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी के प्रतिवेदनानुसार अनिता देवी के पति सुभाष पोद्दार व स्वयं सुभाष पोद्दार द्वारा परिवादी, उषा देवी के पति, पुत्रों व अन्य के विरूद्ध क्रमशः गोगरी थाना कांड संख्या–214/17, दिनांक–04.05.2017 व 324/17, दिनांक–09.07.2017 संस्थित किया गया है जिसमें कांड संख्या–214/17 में पुलिस द्वारा अनुसंधानोंपरान्त परिवादी के पति व तीन पुत्रों के विरूद्ध भा0द0सं0 की धाराओं, 341/ 323/ 354/ 379/34 के अन्तर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है, जबकि कांड संख्या–324/17 के अन्तर्गत एक सोनी कुमार उर्फ संजीव कुमार साह पुत्र, स्व0 सुखदेव साह को अनुत्प्रेषित दर्शाते हुए परिवादी के पति व चार पुत्रों के विरूद्ध भा0द0सं0 की धाराओं, 147/ 148/ 341/ 323/ 307/ 504/ 506 के अन्तर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा उपरोक्त दोनों आपराधिक मामले वर्त्तमान में न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

जहांतक परिवादी के पुत्र, गौतम कुमार को हथकड़ी लगाकर तीन दिनों तक थाना में बंद रखने से संबंधित आरोप का प्रश्न है, पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदनानुसार गौतम कुमार को गोगरी थाना कांड संख्या–324/17 में दिनांक–08.07.2017 को सनहा संख्या–229 दर्ज करते हुए 04:30 बजे गिरफ्तार कर थाना लाया गया तथा अगले दिन (दिनांक–09.07.2017) को सनहा संख्या–42 दर्ज करते हुए पूर्वाह्न 11:40 बजे न्यायालय में उपस्थापित करने भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के पुत्र, गौतम कुमार को तीन दिनों तक थाना हाजत में रखने से संबंधित तथ्य की पुष्टि नहीं हो पायी है।

अब, जबकि अनिता उर्फ निशा देवी द्वारा परिवादी के पति एवं पुत्रों के विरूद्ध संस्थित आपराधिक मामले एक सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा थाना के अभिलेख से परिवादी के तथाकथित नाबालिग पुत्र के तीन दिनों तक थाना हाजत में बंद रखने से संबंधित तथ्य की पुष्टि नहीं हो पा रही है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार पुलिस प्रतिवेदन की प्रति संलग्न परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक